न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
ओमप्रकाश वगै० बनाम रामावतार वगै०
दावा मु. न. 161/2020

२४/८/२०२१ पत्रावली दिनांक 20.08.2021 का अवकाश होने से आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 (5) रा0का0अ0 पेश हुयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 (5) रा0का0अ0 (प्रतिवादी सं0 2) व वकील वादी मूल वाद उप0। पत्रावली में प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह तंवर ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि विचाराधीन वाद की मद संख्या 1 मे वर्णित वादग्रस्त आराजी में कुल 5 खाता है जिनमें कुल 19 खसरे है। एवं इन सभी खातों में खातेदार भिन्न भिन्न है। प्रार्थी (प्रतिवादी सं0 2) केवल 2 खातों में केवल 2 खसरा नं0 570 व 722 में ही सहखातेदार है। रा0 का0 अ0 की धारा 53 (5) के अनुसार वाद पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारिज फरमाया जावें।

वकील वादी मूल वाद पत्र श्री राजेन्द्र गोठवाल ने दौराने बहस जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान कर कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि एक ही राजस्व ग्राम छापर में स्थित है, समस्त खातों के सहखातेदारान को पक्षकार बनाया गया है, वादी की सभी खसरा नम्बरान व खातों में ख़ातेदारी दर्ज है। रा0का0अ0 की धारा 53 (4) अनुसार समस्त खातेदारान को वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है उसी अनुसार समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है। अतः धारा 53 (5) के प्रावधान प्रकरण में लागू नही होते है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रा0का0अ0 की धारा 53 (5) का आशय यह है कि एक से अधिक जोत के विभाजन में यदि समस्त जोतो में खातेदार समान हो तो एक ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है अन्यथा एक भी पक्षकार जो केवल एक जोत में ही सहखातेदार है अन्य जोतो में नही है के द्वारा अन्य जोतो के विभाजन को अनावश्यक रुप से प्रभावित और वाद को लम्बित कर सकने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है।

Division of tenancies

53. Division of Holding—.

(5) A suit for the division of more than, one holding may be instituted provided that the parties are the same.

रा0का0अ0 की धारा 53 (4) का मूल तथ्य यह है कि विभाजन के वाद में समस्त सहखातेदार एवं भूमिधारी आवश्यक रुप से पक्षकार होने चाहिये यहां इसका यह भाव नही है कि पृथक –पृथक खाते जिनमें पक्षकार भिन्न हो के लियें एक ही वाद प्रस्तुत कर दिया जावे।

Division of tenancies

53. Division of Holding—.

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(4) To every suit for the division of one or More than one holding all the co-tenants and the landholder shall be made parties.

प्रकरण/विचाराधीन वाद में ग्राम छापर स्थित भूमि खाता संख्या 5, 6, 245, 321, 329 के विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। जिनमें सहखातेदारान का विवरण व प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की स्थिति निम्न प्रकार है–

क. सं.	खाता सं.	दर्ज सहखातेदारान की संख्या	वादी की सहखातेदारी की स्थिति	प्रार्थी की सहखातेदारी की स्थिति
1	5	12	है।	नही
2	6	22	है।	नही
3	245	3	है।	है।
4	321	3	है।	नही
5	329	3	है।	है।

इस प्रकार यह सिद्व है कि प्रकरण रा0का0अ0 की धारा 53 (5) के प्रावधानों के विपरीत है। अतः में प्रार्थना पत्र आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 (5) रा0का0अ0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 (5) रा0का0अ0 स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है तथा वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

व इजलास **बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) : उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना**

औमप्रकाश वगै0 **बनाम** रामवतार वगै0

–वादीगण– –प्रतिवादीगण–

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 161 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री राजेन्द्र गोठवाल एडवोकेट– वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री राजेन्द्र सिंह तंवर एडवोकट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 53(5) रा0का0अ0 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है।**

निज.....×.....मुबलिग.....×.....बाबत.....×.....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.....×.....फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....×.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।